उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-1830/78-1-2022-05आई0टी0/2020
लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदया अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" को संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- यह नीति "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" (प्रथम संशोधन)" के नाम से जानी जायेगी।

3- "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" (प्रथम संशोधन)" "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 से 05 वर्ष अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो वैध होगी।

4- "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-1830 (1)/78-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 विभागीय राज्य मंत्री जी, उ0प्र0
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

संलग्नक (संशोधित नीति)।

आज्ञा से,

(अक्षय त्रिपाठी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण (प्रथम संशोधन) नीति-2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	यह नीति "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण (प्रथम संशोधन) नीति-2020" कही जायेगी।	
नीति के प्रस्तर का संशोधन	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020, जिसे "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण (प्रथम संशोधन) नीति-2020" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 की विद्यमान व्यवस्था के स्थान स्तम्भ-2 में अंकित व्यवस्था को रखा दिया जायेगा, अर्थात:-	
नीति का प्रस्तर	स्तम्भ-1 विद्यमान व्यवस्था	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & coverage)	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है।	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है। निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगा:- (i) रु 200 करोड़ तक निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष (ii) रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष (iii) रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष
	नीति अधिसूचना के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा किये जाने वाले निवेश हेतु प्रभावी है। नीति की अवधि के विस्तार के बारे में नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।	<u>नीति प्रयोज्यता:</u> (i) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च 2022 तक परियोजना का

		व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा। (ii) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प इयूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। (iii) जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं

होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/ प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।

(iv) नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन नई इकाइयों के लिए लागू हैं। तथापि क्षमता विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां केवल पूंजी उपादान के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होंगी कि क्षमता विस्तार/विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25प्रतिशत की वृद्धि हो।

(क) पिछली किसी भी नीति के अन्तर्गत पहले से ही विद्युत शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक, बढ़े हुए भार पर भी स्वीकृत कार्यकाल तक शेष विद्युत शुल्क लाभ के लिए पात्र होंगे।

(ख) विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवेदन करने वाली नई इकाइयों के लिए कोई

		विद्युत शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगी।
		नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।
	इस नीति की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे।	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त निवेश प्रस्ताव जिन्हें इस संशोधन की अधिसूचना से पूर्व लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत नहीं किये गये हैं, वे संशोधित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के लिए पात्र होंगे।
4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC)	इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, चिकित्सा एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना को परिलक्षित करती है:- (i) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में जेवर हवाई अड्डे के समीप, जनपद गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना। (ii) बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स	इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, ड्रोन, सेमीकण्डक्टर (फैब), चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना को परिलक्षित करती है।

	मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (iii) लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन मे मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर	
4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)	नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत भारत सरकार तथा उद्योग संघों के सहयोग से राज्य में 3 उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत का वहन उत्तर प्रदेश सरकार तथा शेष 75 प्रतिशत का योगदान भारत सरकार तथा उद्योग संघों द्वारा मिलकर किया जायेगा।	नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी संस्थान के सहयोग से राज्य में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। उत्कृष्टता के केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक (रु 10 लाख की सीमा सहित) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सशक्त समिति सक्षम होगी
5. प्रोत्साहन	(iii) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 3 वर्षो के लिए प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।	(iii) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन पुनर्निर्मित संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

5.1 पूंजी उपादान	पूंजी उपादान केवल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यॉकित स्थिर पूंजी निवेश अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेण्ट्स द्वारा मूल्यॉकित स्थिर पूंजी निवेश पर प्रदान किया जाएगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:-	पूंजी उपादान पात्र इकाइयों को प्रदान किया जायेगा तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों/वित्तीय परामर्शदाताओं द्वारा अथवा राज्य सरकार के माध्यम से गठित समिति द्वारा मूल्यॉकित स्थिर पूंजी निवेश पर अनुमन्य होगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:-
	(i) **रू0 200 करोड़ तक के निवेश:** स्थिर पूंजी निवेश पर, रू 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।	(i) **रू0 200 करोड़ तक के निवेश:** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।
	(ii) **रू0 200 करोड़ से रु 1000 करोड़ के मध्य निवेश:** पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत रु 150 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा जोकि 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रथम किश्त संबंधित इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त अनुमन्य होगी।	(ii) **रू0 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेश:** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत पूंजी उपादान 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जोकि व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त देय होगा।
	(iii) **रु0 1000 करोड़ से अधिक निवेश:** रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा जोकि उस वर्ष से देय होगा जिसमें इकाई ने कम से	(iii) **रु0 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेश:** रु 1000 करोड़ से अधिक स्थिर पूंजी निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) प्रदान किया जायेगा। यह अतिरिक्त उपादान 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा जिसमें से प्रथम किश्त उस वर्ष

	कम अपनी 80 प्रतिशत क्षमता अर्जित कर ली हो।	अवमुक्त की जायेगी जिसमें इकाई ने अपनी कुल क्षमता का न्यूनतम 80प्रतिशत उत्पादन अर्जित कर ली हो।
	अभ्युक्तिः प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।	अभ्युक्तिःप्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।
5.2 ब्याज उपादान	रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 5 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।	रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति *7* वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु *7* करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।
5.3 स्टाम्प इयूटी से छूट	(i) एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। (ii) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम पार्क्स की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/ पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉजेक्शन (भूमि के स्वामी से विकासकर्ता/ एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (विकासकर्ता/ एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50	(i) एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। (ii) ई.एम.सी./ ई.एस.डी.एम पार्क्स हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉजेक्शन (स्वामी से विकासकर्ता/एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (विकासकर्ता/ एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत

	प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। (iii) स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।	छूट उपलब्ध होगी। (iii) स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा। (iv) न्यूनतम 10 वर्षों के लिए भूमि/औद्योगिक शेड/औद्योगिक भवन पट्टे/किराये पर लेने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। (v) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर की जायेगी।
5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षो के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।	निवेशकों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की अनुमन्यता निम्नानुसार 10 वर्षो के लिए होगीः- (i) पश्चिमांचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 50 प्रतिशत (ii) मध्यॉचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 75 प्रतिशत (iii) पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में परिचालनरत इकाईयों हेतु 100 प्रतिशत संशोधित दरें इस संशोधन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे। पूर्व स्वीकृत निवेश प्रस्तावों पर पूर्व में अनुमन्य 50 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।

5.10 फैब इकाइया	फैब इकाइयों हेतु सशक्त समिति एवं मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से विशेष पैकेज जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूंजी सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित है, की अनुमन्यता होगी।	**5.10 सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए फायदे** सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने तथा राज्य की नीति में इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तुत करके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा:- 1. **पूंजी उपादानः** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी उपादान पर 50प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान 2. **भूमि की दर में छूटः** (i) राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि पर प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान (ii) इकाई के लिए अथवा पूरक इकाइयों के लिए अतिरिक्त भूमि पर 30 प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी। 3. **स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्कः** भूमि के क्रय/ पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट। 4. **विद्युत उपादानः** इकाइयां औद्योगिक दरों के अनुसार विद्युत दरों के लिए पात्र होंगी। 5. **विद्युत शुल्कः** 20 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर 100प्रतिशत छूट। 6. **दोहरा पावर ग्रिडः** राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पावर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, एक

ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तथा अन्य ग्रिड की लागत सम्बन्धित इकाई द्वारा वहन की जायेगी।

7. **जल की उपलब्धताः** सभी परियोजनाकों को अच्छी गुणवत्ता का (पेय) जल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. **इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापनाः** अधिकतम रु 1 करोड़ की सीमा सहित, ई.टी.पी. की लागत के 50 प्रतिशत तक का एकमुश्त पूंजी उपादान

9. **अवस्थापना/ सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास हेतु सहायताः** राज्य सरकार द्वारा संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.-2.0) योजना के लाभ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा ई.एम.सी.-2.0 फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले निवेशक को भारत सरकार की ई.एम.सी.-2.0 योजना के अनुसार अवस्थापना लागत का 50 प्रतिशत तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी।

सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन भूमि, विद्युत, जल, अवस्थापना, पूंजी साझाकारण, वित्तीय और गैर वित्तीय

		प्रोत्साहनों इत्यादि सहित, फैब इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर पुनः छूट पर विचार किया जा सकता है। सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए प्रोत्साहन सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा के लिए अनुमन्य होंगे।
7 शब्दावली	**7.1 फैब इकाई** फैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना सँयंत्र है, जहाँ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।	**7.1 सेमीकण्डक्टर इकाइयाँ** सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा
अनुलग्नक-1	नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची	भारत सरकार के ई.एस.डी.एम,एम.एस.आई.पी.,एस.पी.ई.सी.एस. पी.एल.आई. योजनाओं के तहत उल्लिखित, समय-समय पर यथासंशोधित सभी उत्पादों को नीति के अन्तर्गत आच्छादित किया

		जायेगा। कोई भी उत्पाद जो सूची में सम्मिलित नहीं है और जिसे जोड़े जाने के लिए विभाग द्वारा भविष्य में संस्तुति की जाती है, सशक्त समिति के अनुमोदन से जोड़ा जायेगा।

"उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" में उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त प्राविधानों को भी नीति के अन्तर्गत सम्मिलित समझा जायेः-

अध्याय 4: नीति का कार्यान्वयन के अन्तर्गत नवीन बिन्दु	**4.3.5 अनुसंधान एवं विकास सहायता** सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को समर्थन प्रदान किया जायेगा। • वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में (पंजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम रु 5.00 करोड़ तक। • पात्र प्रतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत वार्षिक आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रथम प्रस्तर के पश्चात नवीन प्रस्तर	राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के पुनः निर्माण, मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए इकाई स्थापित करने वाले निवेशक नीति के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत उप प्रस्तर 5.1 पूंजी उपादान के पश्चात नवीन उप प्रस्तर	**5.1 (क) एंकर इकाई हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान** एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले तथा पूरक इकाइयों को साथ लाने की गारण्टी देने वाले निवेशक को अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सभी प्रस्तावित सहायक इकाइयों की सफल स्थापना के बाद किया जायेगा। (i) 1 से 5 इकाइयों - अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत (ii) 6 से 10 इकाइयों - अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत (iii) 10 से अधिक इकाइयों - अतिरिक्त 5 प्रतिशत यह अतिरिक्त पूंजी उपादान नीति के प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित पूंजी उपादान के अतिरिक्त होगा। एंकर इकाई द्वारा अपनी कच्चे माल की आवश्यकता का न्यूनतम 40 प्रतिशत उन पूरक इकाइयों से क्रय किया जाना चाहिए जिनका प्रस्ताव इस

	मद के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयां फोकस क्षेत्र के प्राविधान द्वारा अतिरिक्त पूंजी उपादान के लिए पात्र नहीं होंगी। 5.1 (ख) फोकस क्षेत्र इकाइयों हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादानः निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदन करने वाले निवेशक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। • ड्रोन और उसके कम्पोनेन्ट्स • इन्टरनेट ऑफ थिंग्स • रक्षा इलेक्ट्रानिक्स • सामरिक इलेक्ट्रानिक्स • रोबोटिक्स इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयॉं एंकर इकाई के लिए प्राविधानित अतिरिक्त पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत उप प्रस्तर 5.10 पूंजी उपादान के पश्चात नवीन उप प्रस्तर	**5.11 भविष्य निधि प्रतिपूर्ति** वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है। **5.12 लीज रेन्टल्स** < रु 200 करोड़ निवेश हेतु लीज/किराये पर लिये गये औद्योगिक शेड्स/ औद्योगिक भवन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए लीज रेन्टल चार्ज पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25 लाख प्रति वर्ष। **5.13 लॉजिस्टिक्स उपादान** अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से अपने मौजूदा संयत्रों को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित कर रही फर्म्स को विनिर्माण उपकरण के आयात पर, परिवहन लागत व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रु 2 करोड/इकाई तक